UPMT010067462026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित : विकास कुमार–प्रथम, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–3014/2026
हिमांशू प्रति उत्तर प्रदेश राज्य
आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 450/2026, धारा 318(4),338,336(3),340(2), 229 भारतीय न्याय संहिता, थाना कोतवाली, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **हिमांशू** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

3– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा निशांत पाराशर पर बल देते हुए मुख्यतः इस आशय के तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है और उसको झूठा रंजिशन अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 22/2026 से उसका नाम विवेचना में निकाल दिया गया है और मुकदमा अपराध संख्या 826/2019 पार्टीबंदी में झूठा लगाया गया है, उसका अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय से न तो निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है, वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है, अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाय।

4– प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्यतः इस आशय के तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त द्वारा तथ्य छिपाकर व फर्जी दस्तावेज तैयार कर शस्त्र लाइसेंस बनवा लेना आदि आक्षेपित है। अभी इस प्रकरण की विवेचना चल रही है और दौरान विवेचना समस्त तथ्य सामने आने शेष हैं, अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाय।

5– प्रत्युत्तर में अभियुक्त पक्ष की ओर से मुख्यतः इस आशय के तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि सबूत पक्ष की पूरी कहानी फर्जी, झूठी व मनगढ़ंत है। आवेदक/अभियुक्त ने जब अपना लाइसेंस बनवाने हेतु आवेदन किया तब वह उक्त पते पर ही रहता था, वहीं का उसका आधारकार्ड था, जो सही है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा लाइसेंस हेतु किए गए आवेदन पर सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा उक्त पते पर जाँच की जाँच रिपोर्ट लगाने पर ही लाइसेंस स्वीकृति हुई है। चूँकि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध जिलाधिकारी कार्यालय से कोई एफ०आई०आर० दर्ज नहीं कराई, जबकि जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में ही आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त मामले में कोई अपराध आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध नहीं बनता है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई फर्जी कागजात नहीं बनाए हैं और न ही कहीं प्रस्तुत किए हैं। आवेदक/अभियुक्त द्वारा उक्त लाइसेंस दिनांक 19.11.2025 को बनवाया गया, तत्कालीन समय में आवेदक/अभियुक्त उक्त पते पर ही रहता था और बाद में मकान मालिक से विवाद होने पर आवेदक/अभियुक्त वहाँ से चन्दा ग्रीन्स कॉलौनी में रहने लगा है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 27.07.2026 के माध्यम से आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी, किन्तु

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.08.10 16:15:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उक्त आदेश प्राप्त होने से पूर्व ही आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और वह दिनांक 22.07.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाय।

6– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त पक्ष के उक्त प्रत्युत्तर का कोई समुचित प्रतिवाद नहीं किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त **हिमांशू** किसी पूर्व प्रकरण में दोषसिद्ध हो, ऐसा भी अभियोजन पक्ष का कोई तर्क नहीं है।

आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 22.07.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में होना बताया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुवलिग 1,00,000/– (एक लाख) रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाय–

क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, अपने कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई०मेल **districtjailmathura@gmail.com** पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–10.08.2026

(विकास कुमार–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
I.D.No.U.P. 1910

अटल राम चतुर्वेदी,
निजी सहायक